न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0न0 :— 137 / 2024
निर्णय दिनांक :— 21.07.2025
बइजलास :— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. कानाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम नैनस्या, तहसील फागी जिला दूदू राज.।
2. रामनिवास पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम नैनस्या, तहसील फागी जिला दूदू राज.।
3. मोहनलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम नैनस्या, तहसील फागी जिला दूदू राज.।

प्रार्थीगण

बनाम

1. किशनलाल पुत्र भंवरलाल, जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम नैनस्या, तहसील फागी जिला दूदू राज. ।
2. प्रेम देवी पत्नी भँवरलाल, जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम नैनस्या, तहसील फागी जिला दूदू राज.।
3. भरत पुत्र भँवरलाल, जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम नैनस्या, तहसील फागी जिला दूदू राज.।
4. सुरेन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नीमेडा, तहसील फागी जिला दूदू राज.।
5. भगवत सिंह पुत्र मंगल सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नीमेडा, तहसील फागी जिला दूदू राज.।
6. सूजा पत्नी जगदीश, जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम नैनस्या, तहसील फागी जिला दूदू राज.।
7. तहसीलदार तहसील फागी, जिला दूदू, राज.।
8. उपतहसीलदार नीमेडा, तहसील फागी, जिला दूदू राज.

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :— श्री शेरसिंह नरूका वकील प्रार्थीगण
श्री पंकज जैन वकील अप्रार्थीगण सं0 4, 5

सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
बाबत मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी आदेश फरमाये जाने बाबात।

निर्णय दिनांक :— 21.07.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी खतौनी सं. 52 के आराजी खसरा नं. 212/3 रकबा 0. 1265 हैक्टेयर, खतौनी सं. 537 के आराजी खसरा नं. 212/4 रकबा 0.1265 हैक्टेयर खतौनी सं. 937 का आराजी खसरा नं. 212/5 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खतौनी 611 का आराजी खसरा नं. 212/6 रकबा 0.1265 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नीमेडा, तहसील फागी जिला दूदू में स्थित आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा करवाते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को काश्त करने में बाधा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

लगातार...................2

पहुँचाने लगे तो प्रार्थीगण ने अपनी उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि का विधिवत नाप से श्रीमान् उपतहसीलदार नीमेडा के आदेश क्रमांक / भू.अभि. / 23 / 408 409, 410 दिनांक 09 / 06 / 2023 की पालना में दिनांक 30 / 06 / 2023 को पटवारी हल्का नीमेडा से सीमाज्ञान करवाया गया, पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान कर दिये जाने के बाद भी अप्रार्थीगण उक्त दिनांक को किये गये सीमाज्ञान की अनदेखी करने लगे तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे मे हुये सीमाज्ञान दिनांक 30 / 06 / 2023 को मध्यनजर रखकर सभी उपस्थित पक्षकारान की मौजूदगी में सीमाज्ञान कर रिपोर्ट सीमाज्ञान प्रत्येक खेत की चारों भुजाओं की नाप व नक्शे अनुसार दर्शाते हुये पटवारी हल्का द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई एवं उक्त सीमाज्ञान में कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण मिटाने पर आमादा है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है परन्तु अप्रार्थीगण नहीं चाहते कि विवाद समाप्त हो व प्रार्थीगण शांति से काश्त कर सके इसलिए विधिनुसार किये गये सीमाज्ञान को नहीं मानकर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की आराजीयात के कब्जे काश्त में आये दिन मजाहमत करते है तथा उक्त खसरा नम्बरान के लगवा ही अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी भूमि स्थित है जिससे अप्रार्थीगण अपने हिस्से से ज्यादा बाहर अतिक्रमण तत्रने की नियत से प्रार्थीगण की आराजी की मेडबंदी को आये दिन तोडते है तथा विना अपनी आराजी का सीमाज्ञान करवाये प्रार्थीगण की उक्त सीमाज्ञान युक्त आराजीयात पर कब्जा करने की कोशिश में है जबकि प्रार्थीगण द्वारा विधिवत सीमाज्ञान दिनांक 30 / 06 / 2023 को पटवारी हल्का नीमेडा द्वारा मौके पर उपस्थित खातेदारान की उपस्थिति में करवा लिया है जिसके अनुसार प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी जो सीमाज्ञान द्वारा चिहिन्त की गई है पर पत्थरगढ़ी करवाकर पुख्ता सीमा कायम कर सके इसलिए पत्थरगढी करवाने बाबत् यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। सीमाज्ञान आदेश क्रमांक / भू. अभि. / 23 / 408, 409, 410 दिनांक 09 / 06 / 2023 की पालना में दिनांक 30 / 06 / 2023 को उपतहसीलदार नीमेडा के आदेश पर सीमाज्ञान दिनांक 30 / 06 / 2023 को हुये सीमाज्ञान एवं कायम किये निशानात को अप्रार्थीगण नहीं मानते है तथा प्रार्थीगण से आये दिन मेरे कोर को लेकर लडाई–झगडा करते है तथा उक्त आराजी भूमि की पत्थरगढ़ी नहीं होने से अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न कर काश्त करने में बाधा पहुँचाते है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। आदेश दिनांक 09 / 06 / 2023 एवं उपतहसीलदार नीमेडा के आदेशानुसार पटवारी हल्का द्वारा किये गये सीमाज्ञान दि. 30 / 06 / 2023 के अनुसार यदि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढ़ी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थीगण को न्याय मिल सकेगा। श्रीमान न्यायालय को प्रकरण में पत्थरगढी के आदेश करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1, 2, 3, 6, 7, 8 तामिल होने के बावजूद भी हाजिर अदालत नहीं हुए इसलिए अप्रार्थी सं. 1, 2, 3, 6, 7, 8 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी सं. 4, 5 की ओर से वकील श्री पंकज जैन उपस्थित हुए। वकील अप्रार्थी सं0 4, 5 के अधिवक्ता ने जवाब नहीं देकर सीधे बहस करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं0 4, 5 का जवाब बन्द किया जाता हैं।

बहस विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी

लगातार..................3

वकील अप्रार्थी सं. 4, 5 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075—2078 वाके ग्राम नीमेडा खाता सं0 537, 611, 52 में प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 02 मे अंकन किया है कि ख0न0 212 / 3, 212 / 4, 212 / 5, 212 / 6 में प्रार्थी ने दिनांक 30.06.2023 को विधिवत सीमाज्ञान करवा लिया है। उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की भूमि मे अवैधानिक रूप से अतिकमण कर कब्जा करना चाहते है। पूर्व मे उक्त विवादग्रस्त आराजी का दिनांक 30.06.2023 को सीमाज्ञान हो चुका है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सभी पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त खतौनी सं. 52 के आराजी खसरा नं. 212 / 3 रकबा 0. 1265 हैक्टेयर, खतौनी सं. 537 के आराजी खसरा नं. 212 / 4 रकबा 0.1265 हैक्टेयर खतौनी सं. 937 का आराजी खसरा नं. 212 / 5 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खतौनी 611 का आराजी खसरा नं. 212 / 6 रकबा 0.1265 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी मे स्थित आराजीयात के पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी किया जाकर, पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढ़ी केवल सीमाचिहृन की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

फ़र्द अहकाम

कानाराम वगै. बनाम किशनलाल वगै.

नाम न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या:– 137/2024

क्र.स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		[illegible] (handwritten order, illegible) ... 21/7/25 को पेश हो Sd/- [illegible]/7/25
	21/7/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थी सं. ④ व ⑤ ने जवाब नहीं देकर सीधे बहस करने का निवेदन किया। ~~[illegible]~~ अप्रार्थी सं. ④ व ⑤ का जवाब बन्द किया जाता है। बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं. से कम हो दाखिल दफ्तर रहे। Sd/- उपखण्ड अधिकारी फागी